न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-520/2020
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) मो० फिरोज, पिता-मो० कासीम,
सा०-इस्लामपुर रोड, जोगबनी, वार्ड नं०-12, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया
(2) मो० शमीम, पिता-मो० मुमताज,
सा०-गुदरी मोहल्ला, वार्ड नं०-14, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया
(3) अल्मास, पिता-अजेबुल,
(4) मो० सनभर, पिता-तमीजउद्दीन,
सा०-जुलजुली, वार्ड नं०-33, थाना+जिला-किशनगंज
(5) रणधीर राय, पिता-राज कुमार राय,
सा०-विष्णुपुर, पो०-मनियारपुर, थाना-विदुरपुर, राघोपुर
टैम्पू पंजीयन संख्या-BR37P1367
चेसीस संख्या-MBX0003BFVG478320
ईंजन संख्या-R7F2886702 के मालिक)..विपक्षीगण

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1764/हि०शा०, दिनांक 18.09.2020) के आलोक में अररिया थाना कांड सं०-458/20, दिनांक-13.06.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त टेम्पू रजिस्ट्रेशन संख्या-BR-37P-1367, चेचिस संख्या-MBX0003BFVG478320, ईंजन संख्या- R7F2886702 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु विपक्षियों के विरूद्ध प्रारम्भ की गई। विपक्षियो को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुये। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0-50/-रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। (2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1764/हि०शा०, दिनांक 18.09.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि मुख्य सहायक अवर निरीक्षक, अररिया थाना द्वारा दिनांक 13.06.2020 को समय करीब 16:05 बजे गोढ़ी चौक के पास वाहन तलाशी के क्रम में जिरो माईल से फारबिसगंज की ओर जाती हुई टैम्पु पंजीयन संख्या-BR-37P-1367 की तलाशी वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षी-1. जितेन्द्र कुमार, पिता-सदानन्द बहरदार, सा०-गोढ़ी चौक, वार्ड नं०-09, एवं 2. अभिषेक कुमार, पिता-अमृत सिन्हा, सा०-हड़ियाबारा, थाना-अररिया आर०एस०, जिला-अररिया के समक्ष ली गई। तलाशी के क्रम में उक्त टैम्पु पर रखे बैग से ऑफिसर च्वाईस 180 एम०एल० का 316 पीस, रॉयल स्टैग 750 एम०एल० का 98 पीस, रॉयल स्टैग 375 एम०एल० का 12 पीस, बियर 500 एम०एल० का 91 पीस, ब्लेण्डर प्राइड 750 एम०एल० का 02 पीस कुल-181.880 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। बरामद शराब एवं टैम्पु पंजीयन संख्या-BR-37P-1367 को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद,	

अधिहरण वाद संख्या–520/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षियो के विरूद्ध अररिया थाना कांड सं0–458/20, दिनांक–13.06.2020, धारा–30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षियो द्वारा अवैध शराब का जब्त टेम्पू से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त टेम्पू राजसात होने योग्य है। जब्त टेम्पू को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षियो द्वारा जब्त टेम्पू रजिस्ट्रेशन संख्या–BR-37P-1367, चेचिस संख्या–MBX0003BFVG478320, ईजन संख्या– R7F2886702 का उपयोग अवैध शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त टेम्पू का कोई दावेदार नही है। जब्त टेम्पू रजिस्ट्रेशन संख्या–BR-37P-1367 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार **अररिया थाना कांड सं0–458/20, दिनांक–13.06.2020, धारा–30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त टेम्पू रजिस्ट्रेशन संख्या–BR-37P-1367, चेचिस संख्या–MBX0003BFVG478320, ईजन संख्या–R7F2886702 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया 01/04 समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1020/विधि, अररिया, दिनांक 08.4.2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। 01/04 समाहर्त्ता, अररिया न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, अररिया (बिहार)	